

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
प्रथम तल, कोर-IV बी/1st Floor, Core - IV B
भारत पर्यावास केन्द्र/India Habitat Centre
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 / Lodhi Road, New Delhi-110 003
शहरी विकास मंत्रालय/Ministry of Urban Development
दूरभाष/Phone : 24642284, 24642287, फैक्स/Fax : 24642163

No. B-20018(1)/2008-09-NCRPB

Dated: 21.8.2014

To,

As per list

Sub: Revision of Interest Rates and other terms & conditions on loans assistance given by NCR Planning Board.


Participating State Governments have been requesting NCRPB to clarify the interest rates for power projects. In accordance with the Minutes of 34th Meeting of NCR Planning Board held on 20.1.2014, it is hereby clarified that the interest rates on loan assistance from NCR Planning Board for new power sector projects, **have been revised from 9.25% p.a. to 7.50% p.a., at par with priority sector projects.**

2. The interest rates for all other sectors will remain same, as communicated vide Board's letter of even no. dated 7.8.2013.
3. State government / implementing agencies may kindly prepare proposals for loan assistance from NCR Planning Board for the power sector in accordance with the aforesaid interest rates and forward the DPRs to the Board.

This issues with the approval of competent authority.


(P. K. Jain)

Finance & Accounts Officer



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

प्रथम तल, कोर-IV बी/1st Floor, Core - IV B

भारत पर्यावास केन्द्र/India Habitat Centre

लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 / Lodhi Road, New Delhi-110 003

शहरी विकास मंत्रालय/Ministry of Urban Development

दूरभाष/Phone : 24642284, 24642287 फैक्स/Fax : 24642163

दिनांक: 21.8.2014

सं बी-20018 (1) / 2008-09-NCRPB

सेवा में,

सूची के अनुसार

विषय : एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले ऋण सहायता पर ब्याज दरों और अन्य नियम व शर्तों में संशोधन।

सहभागी राज्य सरकारों द्वारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से बिजली परियोजनाओं के लिए ब्याज दरों को स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया है। दिनांक 20.1.2014 को आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 34 वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, स्पष्ट किया जाता है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से ऋण सहायता पर नए बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, ब्याज दरों में 9.25% प्रतिवर्ष से 7.50% प्रतिवर्ष (प्राथमिकता क्षेत्र की परियोजनाओं के बराबर) संशोधित किया गया है।

- 2 अन्य सभी सेक्टर लिए ब्याज दर, बोर्ड के पत्र दिनांकित 7.8.2013 के अनुसार वही रहेगा।
- 3 राज्य सरकार / एजेंसियों कृपया बिजली क्षेत्र के लिए, पूर्वोक्त ब्याज दरों के अनुसार, राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ऋण सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय में अग्रसित करे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(पी.के. जैन)

वित्त एवं लेखा अधिकारी